पृ.क्र.-

पिछला	अगला

(112)

55

14

कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(संरक्षण) म0प्र0भोपाल

Tel.(office) 2674212,2551450(Fax) 2551450,E-mail ID :apccfprot@mp.gov.in

कमांक / एफ–5 / 2010 / 10–10 / 4652 भोपाल, दिनाक / 10/11/10

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)

मध्य प्रदेश

विषयः–वन अपराध प्रकरणों में जप्त वाहनों के प्राकलित मूल्य का निर्धारण करने के संबंध में ।

संदर्भ :–कार्यालयीन पत्र क्रमांक एफ–5 / 2010 / 10–10 / 4034 दिनांक 24 / 9 / 2010

——00——

संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि भारतीय वन अधिनियम 1927 मध्य प्रदेश वनोपज व्यापार अधिनियम 1969 एवं मध्य प्रदेश तेन्दूपत्ता व्यापर अधिनियम 1964 एवं मध्य प्रदेश (गमन) नियम 1961 के अंर्तगत संबंधित वन उपजों के अवैध परिवहन में लिप्त वाहनों को जप्त कर राजसात करने के अधिकार वन अधिकारीयों को दिये गऐ है । इन प्रावधानों के अंतर्गत जो भी वाहन राजसात किए जातें है उनके शासकीय उपयोग अथवा निर्वतन के संबंध में राज्य शासन द्वारा प्रक्रिया निर्धारित कर समिति का गठन किया जा कर मूल्य निर्धारण किया जाता है। अतः इस हेतु राजसात किए गए वाहनो के प्राकलित मूल्य के निर्धारण हेतु मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक /238/4573/ 10/2/91 दिनांक 10/जनवरी 1992 के अनुसार ही भारतिय वन अधिनियम 1927 की धारा 68 (ख) में भी समिति का गठन किया जा कर वन अपराध में पकडे गए राजसात वाहनो का राजसात प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात मूल्य निर्धारित कर संबंधित मुख्य वन संरक्षक के अनुमोदन के पश्चात राजसात वाहन के कम्पाउण्ड करने की कार्यवाही करें।

Aah.

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(संरक्षण)

मध्य प्रदेश